

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ 3, 1933

No. 1203]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2011

विषय : दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बढ़े हुए एफ.ए.आर. के लिए उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण [ औद्योगिक प्लॉटों के अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए दरों की कमी अर्थात् अधिसूचना सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 की मद सं. 5(च) ]।

का.आ. 1441(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, औद्योगिक प्लॉटों के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों की दरों में कमी करने के संबंध में भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचनाओं का पैरा 5(च) निम्नलिखित द्वारा बदला जाएगा :

(दरें प्रतिवर्ग मीटर रु. में)

क्रम सं.	क्षेत्र	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित दरें (जार के 25 प्रतिशत की दर से)
1.	केन्द्रीय, दक्षिण एवं द्वारका	रु. 10295
2.	उत्तर, पूर्व, पश्चिम एवं रोहिणी	रु. 7171
3.	नरेला	रु. 4875

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचना के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

ये दरें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आगे संशोधित और अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेंगी।

[फा. सं. 20(4)05/एम.पी./पार्ट-II/पार्ट]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**  
(MASTER PLAN SECTION)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2011

**Sub. :** Fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021 [reduction of rates for additional FAR of industrial plots i.e. Item No. 5(f) of the Notification No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008].

**S.O. 1441(E).**—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to reduction in rates of additional FAR charges in respect of industrial plots.

Para 5(f) of the notifications dated 23-12-2008 shall be substituted by the following :

Sl. No.	Zone	Modified rates (@25% of ZAAR) as approved by MOUD (Rates in Rs. Per Sqm.)
1.	Central, South and Dwarka	Rs. 10295
2.	North, East, West and Rohini	Rs. 7171
3.	Narela	Rs. 4875

Other contents of the notification dated 23-12-2008 will remain unchanged.

These Rates will remain in force till these are further modified and notified with the approval of the Central Government.

[ F.No. 20(4)05/MP/Pt-II/Part]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.